22/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप.। प्रति. सं. 3 व 4 की तामील समन्स रूप से होने के बावजूद अनु. न्यायालय होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु दिनांक 18/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.) नवलगढ़

18/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप.। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 31/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.) नवलगढ़

31/1/24. वकिल पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पेश हुई। अस्थायी निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल हो। (हस्ताक्षर)
पुनश्च: पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 31/1/24
ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2024.02.23 15:05:49 IST
Reason: SelfAttested

(12)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : प्रतिभा डोटासरा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 116/2023

दायर दिनांक–04–10–2023

फुलचन्द पुत्र श्री गंगुराम जाति मेघवाल निवासी देवीपुरा बणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)
3. बडोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री लोकेश कुमार नारनोलिया
वकील अनावेदकगण :– श्री आनन्दीलाल सैनी

प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 31–01–2024

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :– राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की तन में खाता संख्या नया 252 पुराना खाता संख्या 236 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1642/649 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.4700 हैक्टर स्थित है। जो आवेदक की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है।

विवादित भूमि आवेदक की खातेदारी की क्रय की हुई भूमि है तथा आवेदक एक अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है जिसके पास कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। आनावेदक संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है आवेदनक की क्रय की हुई भूमि में आवेदक का उक्त विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज व काश्त करता आ रहा है। जिसमें किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं है। अनावेदक संख्या 1 व 2 आवेदक की भूमि में जबरदस्ती सडक डालकर भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहते है कानून को हाथ में लेकर ताकत व लठ के बल पर विवादित भूमि में से नाजायज रूप से संलग्न मानचित्र जो पटवारी के द्वारा तस्दीक किया हुआ है जिसमें किसी प्रकार का मौके पर कोई रास्ता का अंकन नही है फिर भी अनावेदक संख्या 1 व 2 भूमि के बीचो बीच सडक डालना चाहते है तथा जबरन हरे पेडो को उखाडकर सडक डालकर भूमि को खुद–बुर्द करना चाहते है। जिसका उन्हे कानूनन कोई अधिकार नही है।

आवेदक ने विवादित भूमि में फसल काश्त कर रखी है तथा अपने मवेशियों सहित आबाद है यदि अनावेदन संख्या 1 व 2 आपस में मिलकर भूमि के बीचो बीच में से सडक डाल देगे तथा हेरे पेड काट देगें तो आवेदनक को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ती किसी भी रूप में संभव नही है। इसलिए अनावेदकगण संख्या 1 व 2 [illegible] पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित भूमि में खडे हरे पेडो को काटकर तथा आवेदक की [illegible] के आवेदक की भूमि में किसी प्रकार की कोई सडक नही डाले जिसक[illegible] श्रीमानजी की सेवा में पेश करना आवश्यक हुआ।

आवेदक विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि को काश्त करके फसल लाटता है इसलिए आवेदन का प्रथम दृष्टया मामला है [illegible] सुविधा का संतुलन भी आवेदन के पक्ष में है अगर अनावेदकगण संख्या 1 व 2 अपनी गलत कार्यवाही को अन्जाम देने में सफल हो गये तो आवेदक को अपार क्षति होगी। अनावेदक संख्या 1 व 2 ने आवेदक को दिनांक 25.09.2023 को खुले आम धमकी दी है कि विवादित भूमि में खेड हरे पेडो को काटकर हम आपकी भूमि के बीचो बीच में से सडक डालकर खुर्द–बुर्द करूंगे अगर अनावेदक संख्या 1 व 2 ने आवेदक की भूमि में खडे हरे पेडो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2024.02.23 15:05:49 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़

(19)

को काटकर सडक डाल देगें तो आवेदक अपार क्षति होगी तथा आवेदक को आगे से आगे मुकदमें बाजी में फसना होगा जिससे समय व धन की बर्बादी होगी साथ ही मानसिक पीडा अलग से भुगतनी होगी ऐसी सुरत में अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में अनुतोष चाहा कि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में खाता संख्या नया 252 पुराना खाता संख्या 236 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1642/649 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.4700 हैक्टर के संबन्ध में ताफैसला दावा अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित भूमि में बिना कटाण का रास्ता होते हुये भूमि के बीचो बीच में से आवेदक की सहमति के बिना तथा आवेदक की भूमि में खडे हरे पेडों को काटकर जबरदस्ती सडक नही डाले, ना ही वादी की भूमि को खुर्द–बुर्द करें ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें ओर ना ही अपने किसी नौकर–चाकर, ऐजेन्ट आदि से करवायें। मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 02 की ओर से वकील श्री आनन्दीलाल सैनी ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध दिनांक 22.12.2023 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 01 लगातय 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवारी हल्का चिराना में उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में आवेदन के खेत में प्रचलित रास्ता है जिस पर आवागकमन चालू है जनता आती जाती है प्रचलन का रास्ता चालू है जिस पर आवेदक सकड निर्माण आवेदक करने नहीं दे रहा है। आवेदक ने राजस्व रिकार्ड पेश किया है वहा वर्तमान में प्रचलन का रास्ता काम में आ रहा है जवाब देहनदा द्वारा सडक निर्माण किया जा रहा है परन्तु आवेदक द्वारा कार्य नहीं करने देने के लिए यह दावा अपने खेत में कटान बाबत झुठा वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रचलन का रास्ता मोजुद है जवाब देहन्दा द्वारा किसी प्रकार के हरे पेड नही उखाड गये न ही भूमि को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। आवेदक ने दुषित उदेश्य से यह दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

मद संख्या 4 आवेदक द्वारा निराधार कथन अंकित कर झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अनावेदक द्वारा प्रचलित रास्ते पर सडक सानिवि द्वारा निर्माण किया जा रहा है अनावेदकगण द्वारा आवेदक के कोई हरे पेड नही काटे गये है मौके पर प्रचलन का रास्त मोजुद है जन हित मं प्रचलन के रास्ते पर सडक डाली जानी प्रस्तावित है। जिससे आवेदक को किसी प्रकार की क्षति होना संभव नही है। सडक से लोगों को वंचित करने के लिए सारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है आवेदक अपने निजी हित के लिए उपरोक्त दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मौके की स्थिति व तथ्यों से विपरीत जाकर झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस तरह से दर्ज है गलत व अस्वीकार है आवेदक की मंशा पडोसी खातेदारों को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से ये दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जवाब देहनदा द्वारा नियमानुसार प्रचलित रास्ते पर सडक निर्माण कार्य किया जा रहा है आवेदक का न तो प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में नहीं है इसलिए क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता यदि आवेदक झुठी मुकदमें बाजी करेगा तो उसका खामियाजा स्वयं भुगतेगा इसलिए आवेदक द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का सवाल ही पैदा नही होता, आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आवेदक द्वारा अपने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुन्झुनूं को पक्षकार मुकदमा नही बनाया। जब [illegible] कलेक्टर है तथा सडक का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। [illegible] व बजट प्रक्रिया समस्त कार्यवाही श्रीमान् जिला कलेक्टर झुन्झुनूं [illegible] सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील [illegible] बनाया है। जिनका वर्तमान सडक निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है। इसलिये आवेदक द्वारा गलत पक्षकार बनाने एवं आवश्यक पक्षकार नही बनाने से दावे व प्रार्थन[illegible] में नोनजोइन्डद एवं मिसजोइन्डर पार्टी का नुक्स होने की वजह से आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आवेदक द्वारा महज उत्तरदाता/अनावेदक संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने एवं राजकार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की नियत से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मिथ्या व आधारहीन तथ्यों को अंकित करते हुए प्रस्तुत किया है आवेदक प्रचलित रास्ते पर सडक निर्माण नही होने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2024.02.23 15:05:49 IST
Reason: SelfAttested

ए.आई.एन. (फा. ट्रे.)

चाहता है पडोसी खातेदार का रास्ता बन्द कर देना चाहता है इसलिये आवेदन का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन चलने योग्य नहीं है एवं खारिज होने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की तन में खाता संख्या नया 252 पुराना खाता संख्या 236 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1642/649 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.4700 हैक्टर स्थित है। जो आवेदक की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग जबरदस्ती सडक डाल रही है। जबकि राजस्व रिकार्ड में नजरी नक्शें में रास्ता नहीं दर्शाया हुआ है। आवेदक को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 04.10.2023 को इस न्यायालय द्वारा पत्रावली में मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित किया हुआ है।

बहस में वकील अनावेदक संख्या 01 लगायत 2 ने कथन किया कि विवादित भूमि पर मौके पर प्रचलित कायम है जिस पर आवागमन हो रहा है उसी रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक द्वारा सडक डाली जा रही है। आवेदक के खेत के डिजिटल फोटोग्राम पेश कर कहा कि आवदेक के खेत के दोनो ओर सडक है। न्यायालय द्वारा पत्रावली में मौके की यथा स्थिति बनाये रखने का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश सडक बनने के बाद जारी किया गया है तथा उक्त आदेश में उल्लेख है कि उक्त आदेश रिकोर्डेड व प्रचलित रास्तों पर प्रभावी नही होगा।

बहस के जबाब में वकील आवेदक ने कथन किया कि वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से यह स्पस्ट नहीं है कि फोटोग्राफ में दिखाया गया मौका उसी विवादित भूमि का है, न्यायालय के स्थगन के बावजूद भी मौके पर सडक बनाई गई है जो कि न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस सम्बन्ध में आवेदक को उसके खेत में से सडक निर्माण पर किसी तरह का कोई मुआवजा आदि भी नही दिया गया है।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित भूमि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की तन में खाता संख्या नया 252 पुराना खाता संख्या 236 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1642/649 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.4700 हैक्टर में पूर्व से प्रचलित रास्ता है तथा जिस पर आवागमन हो रहा है उसी रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, तथा न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में भी स्पष्ट उल्लेख है कि रिकोर्डेड व प्रचलित रास्तों पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी नही होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नही है तो आवेदक को अपूरणीय क्षति घटित होने की सम्भावना भी प्रतीत नही होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 04.10.2023 को इस न्यायालय द्वारा पत्रावली में जारी मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी तत्काल प्रभाव से अपास्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Dotasra
Date: 2024.02.23 15:05:49 IST
Reason: SelfAttested

(प्रतिभा डोटासरा)
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू